न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 11/2024

प्रार्थी

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्वर्गीय कालूराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–मामावली, तहसील व जिला सिरोही
2. श्रीमती भावना देवी पुत्री स्वर्गीय कालूराम जी पत्नी श्री अशोक कुमार, जाति–पुरोहित, निवासी–मामावली, हाल–मोहब्बतनगर, तहसील व जिला–सिरोही
3. श्री उम्मेद पुरोहित पुत्र स्वर्गीय कालूराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–मामावली, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. विक्रम कुमार पुत्र स्वर्गीय कालूराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी–मामावली, तहसील व जिला सिरोही
2. इन्दर पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री कालूरामजी जाति पुरोहित निवासी मामावली तहसील व जिला सिरोही
3. ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,सरतरा, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः विक्रम कुमार व इन्दर पुरोहित के पक्ष में क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 07–7–2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, सरतरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री माली ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में एक संयुक्त पुश्तैनी गृह व भूमि क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट का पट्टा संख्या 41 दिनांक 07–07–2016 को जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों एवं नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जिस मकान व भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में संयुक्त रूप से जारी किया गया है वह उक्त भूमि वास्तव में प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्वर्गीय कालूराम जी पुरोहित के कब्जे आधिपत्य का मकान है जो पुरोहित वास ग्राम मामावली तहसील व जिला सिरोही में आया हुआ है, जिसका नाप उत्तर–दक्षिण 80 फीट व पूर्व–पश्चिम 25.3 कुल क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट है व चतुदर्शी, पूर्व दिशा में छैलसिंह पुत्र

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते सिरोही

मोती सिंह जी का मकान, पश्चिम में आम रास्ता एवं दरवाजा, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में हितेश कुमार पुत्र वजींगाराम पुरोहित का मकान आया हुआ है। उक्त नाप एवं चतुर्दशी के मकान पर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का अपने पूर्वरसाधिकारी श्री कालूरामजी के जरिये करीब 40—45 वर्ष पुराना कब्जा है एवं जिसमें प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ निवासरत है। प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी के पति की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी, अपने तीन पुत्रों एवं एक पुत्री (प्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2) के साथ इसी घर में निवासरत है। अपने पति की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी ने इसी घर में अपनी पुत्री की शादी करवाकर उसे ससुराल विदा किया एवं अन्य दो पुत्रों की शादी भी इसी मकान में की है एवं वर्तमान में प्रार्थी सख्या 1 से 3 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इसी घर में एक साथ निवासरत है। स्वर्गीय कालूराम जी पुरोहित के वारिसान उनकी पत्नी लक्ष्मी, पुत्र उम्मेद पुरोहित, विक्रम कुमार व इन्दर पुरोहित व पुत्री भावना देवी है। प्रश्नगत भूमि जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, सरतरा ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में संयुक्त रूप से जारी किया हुआ है, वास्तव में प्रश्नगत भूमि/मकान प्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पुश्तैनी मकान है, जिस पर प्रार्थीया के पति ने आज से करीब 35 वर्ष पूर्व मकान का निर्माण करवाया हुआ है एवं जिसमें प्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक साथ एक ही छत के नीचे निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रम कुमार एवं इन्दर पुरोहित, प्रार्थीया लक्ष्मी देवी के ही पुत्र है। प्रार्थी संख्या 3 (उम्मेद पुरोहित) जो सबसे बड़ा पुत्र है कोल्हापुर में व्यवसाय करता है एवं प्रार्थीया संख्या 2 (भावना) जो परिवार कि सबसे बड़ी संतान एवं पुत्री है, शादी हो जाने से वह भी अपने ससुराल में निवास करती है और कभी कभार ही अपने पीहर आती जाती है प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी (प्रार्थी संख्या 1) अनपढ़ एवं उम्र दराज है एवं ग्राम मामावली में अपने घर पर ही रहती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सूरत गुजरात में व्यवसायरत है एवं अक्सर राजस्थान आते—जाते रहते है एवं प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी के अनपढ़ होने एवं ग्राम मामावली में अन्य किसी पुरुष के नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत सरतरा के साथ मेल—मिलाप कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पुश्तैनी मकान का पट्टा, स्वयं के संयुक्त नाम से जारी करवा दिया है जबकि उक्त सम्पति प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी आवासीय सम्पति /मकान की भूमि का अकेले अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में पट्टा विलेख जारी करने का ग्राम पंचायत सरतरा को कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है जो उनको अपने पूर्वरसाधिकारी स्वर्गीय कालूरामजी से विरासत में प्राप्त हुई है एवं उक्त मकान में प्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रत्येक का 1/5 हक हिस्से पर अधिकार है। इस प्रकार, उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत, सरतरा को प्रार्थी लक्ष्मीदेवी जो की परिवार की मुखिया है के हक में नियम 157(1)(ख) के तहत जारी करना चाहिए था, ताकि प्रार्थी लक्ष्मीदेवी के बाद उक्त मकान पर प्रार्थी लक्ष्मीदेवी के सभी वारिसान अर्थात् प्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 2 को अपना—अपना हक हिस्सा स्वतः ही मिला जाता, लेकिन ग्राम पंचायत, सरतरा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मेल—मिलाप कर पुश्तैनी भूमि का पट्टा केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 07—7—2016 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं ग्राम पंचायत, सरतरा से प्राप्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा सरतरा द्वारा अप्रार्थी विक्रम कुमार, इन्दर पुरोहित पुत्र कालुराम जी पुरोहित, निवासी— मामावली के पक्ष में क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 41 दिनांक 07—7—2016 को जारी किया गया है, जो पंचायत सकल्प संख्य 04 दिनांक 20—6—2016 के अनुसरण में जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल दायर संख्या 01 / 2016 दायर दिनांक 04—4—2016 फेसला दिनांक 20—6—2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी विक्रम कुमार, इन्दर पुरोहित पुत्र कालुराम जी पुरोहित, निवासी— मामावली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुश्तैनी गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया गया है, लेकिन पट्टा विलेख, नीलामी व बाजार दर पर विक्रय की जाने वाली भूमि के पट्टे के प्रारुप 23 में जारी किय गया है।

प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन प्रस्तुत फोटोग्राफ व विद्युत बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर आवासीय मकान बना हुआ है एवं कालुराम पुत्र भूबाजी पुरोहित, निवासी— मामावली के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, जिसके विद्युत बिल सितम्बर व अक्टूम्बर, 2010, अगस्त 2018 व दिसम्बर, 2021 के विद्युत बिल की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त मिसल दायर संख्या 01 / 2016 दायर दिनांक 04—4—2016 में अंकित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20—6—2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पुश्तैनी मकान का करीब 50 वर्षो पुराना होने से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत विक्रम कुमार, इन्दर कुमार पुत्र कालुराम जी पुरोहित को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है। इस प्रकार, प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों व ग्राम पंचायत, सरतरा की मिसल के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी विक्रम कुमार, इन्दर पुरोहित पुत्र कालुराम जी पुरोहित, निवासी— मामावली के पक्ष में जिस आवासीय मकान का पट्टा जारी किया गया है वह मकान व भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः विक्रम कुमार व इन्दर पुरोहित की संयुक्त पुश्तैनी सम्पति है एवं संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति का अकेले अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः विक्रम कुमार व इन्दर पुरोहित के नाम से कानूनन पट्टा जारी नही हो सकता है। संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति में सभी विधिक वारिसान का समान रुप से हिस्सा व हक अधिकार होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अन्र्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी विक्रम कुमार, इन्दर पुरोहित पुत्र कालुराम जी, जाति—पुरोहित, निवासी— मामावली के पक्ष में क्षेत्रफल 2020 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 07—7—2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, सरतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर *सिरोही* सत्यमेव जयते